

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1397 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2460

दिनांक : 18/10/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 पदों-न दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (प्रथम नियुक्ति मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौन्सेलर वर्कर के पद पर) को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निम्नलिखित रिटों में पारित निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ताओं को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं :-

क्र. सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दिनांक	अवमानना सं.
1.	हमीर सिंह	6113 / 17	13.07.17	1395 / 17
2.	कन्हैया लाल	14231 / 16	06.12.16	1411 / 17
3.	अब्दुल सलीम	5736 / 17	01.06.17	1385 / 17
4.	ईश्वर सिंह	6106 / 17	14.07.17	1396 / 17
5.	सुखी देवी पत्नि स्व. श्री शायर खान	8201 / 17	19.07.17	1412 / 17
6.	रुखमा कंवर पत्नि स्व. श्री मोहन लाल राठौड़	7994 / 17	20.07.17	1419 / 17
7.	मांगीलाल	3891 / 16	21.09.16	1483 / 17

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एकलपक्षीय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.17, 06.12.16, 01.06.17, 14.07.17, 19.07.17, 20.07.17 एवं 21.09.16 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हे 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ताओं को विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ताओं को मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौन्सेलर वर्कर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.)-साधारण वेतन श्रृंखला पद पर रिडेजिनेट होने की तिथि से सेवा को गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमांक 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ताओं को दिनांक 01.12.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ताओं को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जॉन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि याचिकाकर्ताओं को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार एवं वेतन स्थिरकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में सभायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है।

यह आदेश राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101804869 दिनांक 31.08.18 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी. संख्या 1869 दिनांक 31.08.18 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये गये है।

(सतेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

दिनांक : 18/10/18

क्रमांक: एफ.1397 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2480

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101804869 दिनांक 31.08.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 1869 दिनांक 31.08.18 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर/जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बांसवाड़ा/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़/बाड़मेर/जैसलमेर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू-ड्रान एवं संबंधित एलागीसी की प्रति कार्मिक एवं अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाए सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकाकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर